राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

क्रमांकः— एफ 2 (8)/संकलन/वा.ले./2014-15/213/ 56 . दिनांकः— 15/5/14

उप आवासन आयुक्त/
लेखाधिकारी (भुगतान),
राजस्थान आवासन बोर्ड,
जयपुर।

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन बोर्ड,
खण्ड............................

विषय:— वित्तीय वर्ष 2013-14 के लेखों के मिलान एवं कर—अंकेक्षण हेतु कार्यक्रम।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013—14 की समाप्ति के उपरान्त वार्षिक लेखे तैयार करने से पूर्व बोर्ड की समस्त इकाईयों के खातों का मिलान (Reconciliation), वर्ष के दौरान संकलन शाखा को प्राप्त मासिक लेखों के आधार पर संधारित खाता बही से, संकलन प्रकोष्ठ (मुख्यालय) में सम्पादित किया जाना है तथा वित्तीय लेखों का कर—अंकेक्षण बोर्ड के अधिकृत सनदी लेखाकार(चार्टड एकाउन्टेन्ट) द्वारा सम्पादित कराया जाना है। अत: उक्त कर—अंकेक्षण एवं खातों का मिलान (Reconciliation) कार्यक्रम निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:—

क्र सं	कार्यालय का नाम	खातों के मिलान की तिथि	कर—अंकेक्षण की तिथि	स्थान एवं समय	पूरक खाते प्रस्तुत करने की तिथि
1	आवासीय अभियन्ता, खण्ड विद्युत जयपुर	19.05.2014	20.05.2014	मुख्यालय जयपुर प्रात:10:00 बजे	26.05.2014
2	आवासीय अभियन्ता, खण्ड दौसा	19.05.2014	20.05.2014		26.05.2014
3	उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, जयपुर	19.05.2014	20.05.2014	,,	26.05.2014
4	आवासीय अभियन्ता, खण्ड तृतीय, जयपुर	19.05.2014	20.05.2014	,,	26.05.2014
5	आवासीय अभियन्ता, खण्ड चतुर्थ, जयपुर	20.05.2014	21.05.2014	,,	27.05.2014
6	आवासीय अभियन्ता, खण्ड पंचम, जयपुर	20.05.2014	21.05.2014	,,	27.05.2014
7	आवासीय अभियन्ता, खण्ड दशम, जयपुर	20.05.2014	21.05.2014	,,	27.05.2014
8	आवासीय अभियन्ता, खण्ड बारह, जयपुर	20.05.2014	21.05.2014	,,	27.05.2014
9	उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय, जयपुर	21.05.2014	22.05.2014	,,	28.05.2014
10	आवासीय अभियन्ता, खण्ड षष्ठम, जयपुर	21.05.2014	22.05.2014	,,	28.05.2014
11	आवासीय अभियन्ता, खण्ड पीएचईप्रथम, जयपुर	21.05.2014	22.05.2014	,,	28.05.2014
12	उप आवासन आयुक्त, वृत्त तृतीय, जयपुर	22.05.2014	23.05.2014	,,	29.05.2014
13	आवासीय अभियन्ता, खण्ड अजमेर	22.05.2014	23.05.2014	,,	29.05.2014
14	आवासीय अभियन्ता, खण्ड नवम, जयपुर	23.05.2014	26.05.2014	,,	30.05.2014
15	आवासीय अभियन्ता, खण्ड पीएचई द्वितीय जयपुर	23.05.2014	26.05.2014	,,	30.05.2014
16	आवासीय अभियन्ता, खण्ड झुन्झुनु	26.05.2014	27.05.2014	,,	02.06.2014

Cont..................

क्र सं	कार्यालय का नाम	खातों के मिलान की तिथि	कर अंकेक्षण की तिथि	स्थान एवं समय	पूरक खाते प्रस्तुत करने की तिथि
17	आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम, जयपुर	27.05.2014	28.05.2014	मुख्यालय जयपुर प्रातः10:00 बजे	03.06.2014
18	आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, जयपुर	27.05.2014	28.05.2014		03.06.2014
19	आवासीय अभियन्ता, खण्ड ग्यारह, जयपुर	28.05.2014	29.05.2014	,,	04.06.2014
20	आवासीय अभियन्ता, खण्ड तेरह, जयपुर	28.05.2014	29.05.2014	,,	04.06.2014
21	उप आवासन आयुक्त, वृत्त अलवर	02.06.2014	03.06.2014	,,	09.06.2014
22	आवासीय अभियन्ता, खण्ड अलवर	02.06.2014	03.06.2014	,,	09.06.2014
23	आवासीय अभियन्ता, खण्ड भिवाडी	02.06.2014	03.06.2014	,,	09.06.2014
24	आवासीय अभियन्ता, खण्ड भरतपुर	02.06.2014	03.06.2014	,,	09.06.2014
25	उप आवासन आयुक्त वृत्त उदयपुर	03.06.2014	04.06.2014	,,	10.06.2014
26	आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम उदयपुर	03.06.2014	04.06.2014	,,	10.06.2014
27	आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय उदयपुर	03.06.2014	04.06.2014	,,	10.06.2014
28	आवासीय अभियन्ता, खण्ड भीलवाडा	04.06.2014	05.06.2014	,,	11.06.2014
29	आवासीय अभियन्ता, खण्ड चित्तौडगढ	04.06.2014	05.06.2014	,,	11.06.2014
30	आवासीय अभियन्ता, खण्ड डूंगरपुर	04.06.2014	05.06.2014	,,	11.06.2014
31	आवासीय अभियन्ता, खण्ड बारां	05.06.2014	06.06.2014	,,	12.06.2014
32	उप आवासन आयुक्त, वृत्त कोटा	05.06.2014	06.06.2014	,,	12.06.2014
33	आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा	05.06.2014	06.06.2014	,,	12.06.2014
34	उप आवासन आयुक्त, वृत बीकानेर	09.06.2014	10.06.2014	,,	16.06.2014
35	आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम बीकानेर	09.06.2014	10.06.2014	,,	16.06.2014
36	आवासीय अभियन्ता, खण्ड नागौर	09.06.2014	10.06.2014	,,	16.06.2014
37	आवासीय अभियन्ता, खण्ड हनुमानगढ	09.06.2014	10.06.2014	,,	16.06.2014
38	आवासीय अभियन्ता, खण्ड पाली	10.06.2014	11.06.2014	,,	17.06.2014
39	उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय जोधपुर	10.06.2014	11.06.2014	,,	17.06.2014
40	आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम जोधपुर	10.06.2014	11.06.2014	,,	17.06.2014
41	आवासीय अभियन्ता, खण्ड जैसलमेर	10.06.2014	11.06.2014	,,	17.06.2014
42	उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम जोधपुर	11.06.2014	12.06.2014	,,	18.06.2014
43	आवासीय अभियन्ता, खण्ड चतुर्थ जोधपुर	11.06.2014	12.06.2014	,,	18.06.2014
44	आवासीय अभियन्ता,खण्ड PHE जोधपुर	11.06.2014	12.06.2014	,,	18.06.2014
45	आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय जोधपुर	12.06.2014	13.06.2014	,,	19.06.2014
46	आवासीय अभियन्ता, खण्ड तृतीय जोधपुर	12.06.2014	13.06.2014	,,	19.06.2014
47	लेखाधिकारी (भुगतान) मुख्यालय जयपुर	13.06.2014	14.06.2014	,,	20.06.2014

जी.पी.एफ./पेंशन अंशदान एवं लेखाधिकारी (भुगतान) से रेमीटेन्स की राशि के मिलान (Reconciliation) का कार्य भी उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रमानुसार सम्पन्न किया जायेगा तथा समस्त इकाईयां आपस में किये गये लेन–देनों के डेबिट/क्रेडिट नोट संबंधित इकाई को देकर प्राप्ति सहित एक प्रति मिलान की तिथि को संकलन प्रकोष्ठ में देवें।

Cont...................

समस्त वृत्त/खण्डों के सहायक लेखाधिकारी/लेखाकारों को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार सम्बन्धित इकाई के सम्मुख दी गई तिथि पर रोकड़ बही, खाताबही, जर्नल बुक, मासिक लेखे, केल्कुलेटर एवं अन्य समस्त वांछित रिकॉर्ड के साथ संकलन शाखा (मु.) में प्रातः 10:00 बजे व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपने खातों का मिलान कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमानुसार कर—अंकेक्षण के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित कराने हेतु वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित निम्नाकिंत रेकॉर्ड सी० ए० को प्रस्तुत करेंगे:—

1 कैशबुक,लेजर,जर्नल,मूल वाउचर्स, बैंक स्टेटमेंट सहित बैंक समाधान विवरणपत्र, माह मार्च, 2014 का मासिक लेखा

2 बैंक खातों में दिनांक 31-03-2014 को उपलब्ध अन्तिम शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्र की एक—एक सत्यापित छायाप्रति।

3 वर्ष 2013-14 के दौरान स्रोत पर काटे गये/जमा कराये गये आयकर का विवरण एवं जमा के चालानों की कार्यालय प्रतियाँ। वर्ष की चारों तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई रिटर्न की पत्रावली जिसमें फार्म 26 (क्यू), फार्म 24(क्यू), फार्म 16 एवं 16 ए (टैक्स कटौती के सर्टीफिकेट) की प्रतियां उपलब्ध हों।

4 सर्विस टैक्स रिटर्न की पत्रावली, जिसमें ST-2 की प्रति भी उपलब्ध हों एवं CENVAT Register भी उपलब्ध हों।

5 वर्ष के दौरान ठेकेदारों के बिलों में से आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, वैट, लेबर सेस के पेटे काटी गई/जमा करायी गई राशि का विवरण एवं जमा के चालानों की प्रतियां।

6 वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न न्यायालयों/मंचों द्वारा निर्णीत न्यायिक विवादों की सूची एवं न्यायायिक निर्णयानुसार अगर कोई भुगतान किया गया है, तो उन निर्णयों की प्रतियां प्रस्तुत करें।

7 आपके कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान स्रोत पर काटे गये टैक्स (TDS) का कोई प्रमाण —पत्र प्राप्त हुआ हो तो मूल ही संलग्न करें। अगर किसी बैंक ने Collection Account में सीधे ही 'ब्याज' की राशि जमा करा दी हो, तो इस राशि के लिए स्त्रोत पर काटे गये TDS का प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त कर, मुख्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

कार्यक्रमानुसार सभी इकाईयाँ खातों के मिलान का कार्य एवं कर—अंकेक्षण का कार्य पूर्ण होते ही चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा कर—अंकेक्षण के समय दिये गये निर्देशों/संकलन प्रकोष्ठ द्वारा दिये गये सुझावों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूरक लेखे, निर्धारित प्रारूपों में समस्त वांछित सूचनाओं सहित निर्धारित तिथि तक सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार के साथ आवश्यक रूप से मुख्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर विभाग में आयकर विवरणिका 30 सितम्बर 2014 तक प्रस्तुत करने हेतु बोर्ड बाध्य है। निर्धारित तिथि तक आयकर विवरणिका आयकर विभाग में प्रस्तुत नहीं होने पर विलम्ब के लिये भारी शास्ति का प्रावधान है। अतः निर्धारित कार्यक्रमानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

Cont...................

उक्त कर–अंकेक्षण के कार्य को सूचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु बोर्ड के प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउण्टेंट, मैसर्स पारख एण्ड कं०, 323 गणपति प्लाजा, एम. आई. रोड जयपुर टेलीफोन नं. 0141–2389181-82, फैक्स नं. 0141-2389180 को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

भवदीय

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपिः– *निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–*

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, ए.वी.एस. (एल.सी.) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त ....
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (भुगतान)/पेंशन, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि रैमीटेन्स/जी.पी.एफ./पेंशन अंशदान के मिलान (Reconaliation) हेतु अपने प्रकोष्ठ से किसी अधिकारी/कर्मचारी को कार्यक्रमानुसार मिलान कार्य हेतु नियुक्त करें।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (वसूली), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की वसूली से संबंधित समस्त सूचनाऐं/जर्नल वाऊचर आदि समय पर तैयार कर संकलन प्रकोष्ठ से मिलान करने के बाद लेखा (भुगतान) शाखा को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि लेखा (मु.) शाखा द्वारा पूरक खाते तैयार कर संकलन प्रकोष्ठ को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवायें।
7. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड ....
8. मैसर्स पारख एण्ड कं०, 323 गणपति प्लाजा, एम. आई. रोड जयपुर को निर्धारित कार्यक्रमानुसार कर–अंकेक्षण सम्पन्न करवाने हेतु।
9. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को बोर्ड की वेबसाईट एवं समस्त डी.डी.ओ. के ई–मेल पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित है।

उप–वित्तीय सलाहकार